न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

मांगरोल जिला बारां
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 43/2015

सुशीलाल पुत्र लोडक्या जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां —वादी

बनाम

1. भैरूलाल उर्फ भेरिया पुत्र पन्ना } जाति मीणा निवासी धूमरखेडी तहसील मांगरोल जिला
2. बदीलाल दत्तक पुत्र भैरूलाल } बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी :— श्री कर्मवीर शर्मा,

वकील प्रतिवादीगण :— श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांक: 08.05.2015 निर्णय दिनांक : 27.12.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादी के कब्जे व खाते की कृषि भूमि खसरा नं0 390/551 रकबा 0.30 है0 दर्ज रेकार्ड जमाबंदी धूमरखेडी तहसील मांगरोल के माल में स्थित है, इससे लगी खसरा नं0 390 रकबा 0.18 है0 किस्म बारानी दोयम पर गत 50 वर्षो से वादी परिवार का कब्जा है। प्रतिवादी 2 रामनिवास मीणा का पुत्र है जो कुछ समय पूर्व प्रतिवादी 1 भैरूलाल के दत्तक पुत्र आकर रहा है जिसके खाते की भूमि खसरा नं0 385 रकबा 1.09 है0 आराजी माल धूमरखेडी में स्थित है। खेतो में जाने का रास्ता हमेंशा सेखसरा नं0 390 व खसरा नं0 385 के बीच में स्थित है लेकिन प्रतिवादी 1 व 2 इस रास्ते को अपनी खाता आराजी खसरा नं0 385 में मिलाकर नया रास्ता वादी की कब्जा काश्त आराजी खसरा नं0 309 रकबा 0.18 है0 में कायम करवा कर रास्ते पर कब्जा करने पर आमादा है। वादी निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर तहसील द्वारा जारी कब्जे के नोटिस व जुर्माने के आधार पर विवादित आराजी खसरा नं0 390 रकबा 0.18 है0 ग्राम धूमरखेडी को स्वयं के खाते दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। अतः सादर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 व 2 इस आशय की जारी की जावें कि विवादित आराजी खसरा नं0 390 रकबा 0.18 है0 ग्राम धूमरखेडी तहसील मांगरोल पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। व खसरा नं0 390 व 385 के बीच स्थित रास्ते को यथावत रखा जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.05.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह हाडा ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 27.

... बहस सुनी वकील वादी व प्रतिवादी कमांक 2 की सुनी गयी। प्रतिवादी कमांक 3 तहसीलदार ... जो राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा दिनांक 27.12.2018 को उपस्थित होकर ... (लेण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है ... प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लेण्ड होल्डर) की ओर से ... प्रस्तुत किया। ... वाद पत्र बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

01. वाद पत्र की बिन्दु सं0 1 आंशिक स्वीकार है। आराजी रेकार्डेड होना स्वीकार है।
02. वाद पत्र की बिन्दु सं0 2 पारिवारिक तथ्य है अतः जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
03. वाद पत्र की बिन्दु सं0 3 में वादी व प्रतिवादीगण का निजी विवाद है अतः जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
04. वाद पत्र की बिन्दु सं0 4 अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की बिन्दु सं0 5 अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की बिन्दु सं0 6 अस्वीकार है। वादी का ग्राम धूमरखेंडी के खसरा नं0 390 रकबा 0.18 है0 किस्म बारानी तृतीय सिवायचक सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार है। तथापि वादी को विधिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार होना अस्वीकार है।
07. वाद पत्र की बिन्दु नं0 7 जानकारी से परे होने से अस्वीकार है।
08. वाद पत्र की बिन्दु नं0 8 अस्वीकार है।
09. वाद पत्र की बिन्दु नं0 9 अस्वीकार है।
10. वाद पत्र की बिन्दु नं0 10, 11 एवं 12 कानूनी है।

<u>विशेष निवेदनः–</u>

यह है कि वर्तमान में ग्राम धूमरखेडीं के खसरा नं0 390 रकबा 0.18 है0 किस्म बारानी तृतीय सिवायचक सरकारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित है जिस पर वादी बूचीलाल पुत्र लोडक्या जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल का मुताबिक पत्रावली में संलग्न नकल नोटिस धारा 91 एल0 आर0 एक्ट0 1956 वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 व 2013 एवं नकल रसीद जुर्माना के आधार पर वादी बूचीलाल पुत्र लोडक्या जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल का अवैध रूप से अतिक्रमण काश्त होना दर्शाया है। और इसी अतिक्रमण/देरीना प्रतिकूल कब्जे काश्त (एडवर्स पजेशन) के आधार पर दिये जाने खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के

का खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना अवलोकनीय होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78) 2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं-- प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से राजकीय भूमि जो वर्तमान में मुताबिक राजस्व रेकार्ड जो किस्म बारानी तृतीय सिवायचक सरकारी भूमि है उस पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर लाया है अतः उक्त वाद उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में अविलम्ब राजहित में खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न [illegible] का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज व प्रतिवादी कम 3 राजस्थान [illegible] तहसीलदार मांगरोल के विस्तृत जवाब दावे एवं बहस फाईनल दिनांक 27.12.2018 के प्रकाश में वादी केवल कब्जे के आधार पर आराजी खसरा नं0 390 रकबा 0.18 है0 ग्राम धूमरखेडी आराजी जो राजस्व रेकार्ड में किस्म बारानी तृतीय सिवायचक सरकारी भूमि है को खाते दर्ज करवाना चाहता है परन्तु इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92, 188_आर0टी0एक्ट0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना